HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Second Bail Application No. 1047/2026

Swaroop Singh S/o Shri Bhanwar Singh, Aged About 29 Years, Khari Nadi, Sajiyali, Police Station Pachpadra, District Balotra Rajasthan (At Present Lodged In District Jail Jalore)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanwar Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

13/03/2026

प्रार्थी–अभियुक्त **स्वरूपसिंह** की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालोऱ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं धारा 482, 411 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 28.08.2025 को योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा बल नहीं देने के आधार पर अनुसंधान अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा चुका है।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त तथा योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिए कि दिनांक 27.02.2022 को सर्वप्रथम श्री खम्माराम, उप निरीक्षक, पुलिस थाना चितलवाना द्वारा दौराने नाकाबंदी ईनोवा गाड़ी को रुकवाया गया था तथा उसमें से खलासी सीट पर

से एक व्यक्ति का भाग जाना और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम, पता पूछने पर अपना नाम धर्माराम उर्फ धमेन्द्र होना बताया गया था। तत्पश्चात् गाड़ी की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कुल 21 कट्टों में कुल 447.650 किलोग्राम डोड़ा पोस्त की बरामदगी बताई गई है। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से कोई मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की गई है और बरामदशुदा उक्त मादक पदार्थ से प्रार्थी–अभियुक्त का कोई संबंध रहा हो, ऐसी भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त, जिसके कब्जे से बरामदगी बताई गई है, उसका जमानत प्रार्थना–पत्र एवं प्रकरण के ही अन्य सहअभियुक्तगण क्रमशः लक्ष्मण राम, जसाराम उर्फ जसू, नागेश्वर पाटीदार उर्फ नागराज, अर्जुन सिंह एवं धन्नाराम के भी जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, जिनसे प्रार्थी–अभियुक्त का प्रकरण भिन्न नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यु.11 बलदेव राम द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान जो साक्ष्य दी गई है, उससे भी स्पष्ट है कि बरामदशुदा मादक पदार्थ से प्रार्थी–अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के मुख्य अभियुक्त के साथ–साथ अन्य सहअभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार हो जाने से प्रार्थी–अभियुक्त का भी जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 27.02.2022 को वक्त 09:57 पी.एम. पर खम्माराम, उप निरीक्षक, पुलिस थाना चितलवाना, मय जाप्ता के गश्त करते हुए वक्त 10:15 पी.एम. पर चारणीम रोड़ पर माताजी मंदिर के पास पहुंचे तो नाकाबंदी के दौरान एक ईनोवा गाड़ी आते हुए दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा करने पर एक व्यक्ति भाग गया था और जो अन्य व्यक्ति चालक सीट पर बैठा हुआ था, उससे नाम, पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम धर्माराम उर्फ धमेन्द्र होना बताया गया। तत्पश्चात् तलाशी के दौरान प्लास्टिक के कुल 21 कट्टों में 447.650

किलोग्राम डोड़ा पोस्त की बरामदगी की गई थी। इस प्रकार जिस मुख्य अभियुक्त धर्माराम के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी हुई थी, उक्त अभियुक्त धर्माराम का जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 28.08.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के ही अन्य सहअभियुक्तगण क्रमशः अर्जुन सिंह, नागेश्वर पाटीदार उर्फ नागराज, लक्ष्मण एवं जसाराम उर्फ जसू के जमानत प्रार्थना–पत्र भी पूर्व में स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रकरण में पी.डब्ल्यु.11 बलदेव राम ने भी प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वाहन की जब्ती के समय अभियुक्त स्वरूपसिंह, अर्जुन, लक्ष्मण के आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड अथवा अन्य कोई परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ था और स्वरूपसिंह जब्ती के समय भी मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था और ना ही दोनों की आपस में वार्तालाप की कॉल डिटेल प्राप्त होने की साक्ष्य दी गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि धन्नाराम के कथन के अलावा इस बात का अन्य कोई साक्ष्य नहीं है कि स्वरूपसिंह इनोवा गाड़ी के साथ हो। यह भी स्वीकार किया कि पुलिस जाप्ते में से या किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने भी इनोवा गाड़ी में से भागने वाले व्यक्ति के रूप में स्वरूपसिंह की पहचान नहीं की थी तथा ना ही किसी व्यक्ति ने स्वरूपसिंह को इनोवा गाड़ी में बैठते, उतरते या भागते देखा था। स्वरूपसिंह के कब्जे से इनोवा गाड़ी के कागजात या स्वामित्व के दस्तावेज नहीं मिले थे। यह भी स्वीकार किया गया है कि अनुसंधान के दौरान किसी स्वतंत्र साक्षी या प्राइवेट व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि इनोवा से भागने वाले व्यक्ति स्वरूपसिंह ही था। इस प्रकार अभिलेख पर जो उक्त साक्ष्य पी.डब्ल्यु.11 द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई है, उसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगणो के जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में स्वीकार किए जा चुके हैं, उस आधार पर एवं प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त स्वरूपसिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **स्वरूपसिंह पुत्र भंवरसिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालोऱ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2022 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

110-Vishal/-